<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>

<u>पर्यटन अनुभाग</u>

<u>संख्या-06 /2021/4780/41-2020-123(बजट)/2019 टी0सी</u>

लखनऊ दिनांक 04 जनवरी, 2021

<u>संख्या-299/2020/2519/41-2020-123(बजट)/2019टी0सी, दिनांक 17 दिसम्बर 2020</u>

<u>का शुद्धि पत्र</u>

जनपद गोरखपुर के ऊरवा बाजार स्थित चचईराम मठ का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य कराये जाने हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-299/2020/2519/41-2020-123(बजट)/2019टी0सी, दिनांक 17 दिसम्बर 2020 के संदर्भ में महानिदेशक, पर्यटन के पत्रांक-4750/6-1-1/(1090)/2019, दिनांक 23-12-2020 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त स्वीकृति विषयक शासनादेश के प्रस्तर**-4** के उप प्रस्तर-1 में त्रुटिवश प्रायोजना हेतु पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-231/2019/2594(2)/41-2019-123 (बजट)/2019 टी0सी0-1 दिनांक 13-10-2019 के स्थान पर शासनादेश संख्या-31/2020/2837(1)/41-2019-144(बजट)/2019 दिनांक 21-1-2020 अंकित हो गया है।

2. अत: एतद्द्वारा शासनादेश संख्या-299/2020/2519/41-2020-123(बजट)/2019टी0सी, दिनांक 17 दिसम्बर 2020 के प्रस्तर**-4** के उप प्रस्तर-1 में त्रुटिवश अंकित प्रायोजना हेतु पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-31/2020/2837(1)/41-2019-144(बजट)/2019 दिनांक 21-1-2020 **को विलोपित करते हुये उनके स्थान पर** शासनादेश संख्या-231/2019/2594(2)/41-2019-123 (बजट)/2019 टी0सी0-1 दिनांक 13-10-2019 **अंकित किया जाता है।**

3. शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-06/2021/4780(1)/41-2020-123(बजट)/2019 टी0सी तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- संयुक्त निदेशक/आहरण वितरण अधिकारी, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
8- परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, इकाई-14 गोरखपुर।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in